कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर

दूरभाष- 05944.242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit
www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांकः- 1161 /कर कक्ष/2022-23 P.B — दिनांक- 6-7-2022

"ई-निविदा सूचना"

नगर निगम रूद्रपुर में सदस्यों के उप-निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण होर्डिंग यूनिपोल/विज्ञापन शुल्क वसूली दि0 20.22.2024 हेतु ई-निविदा की प्रक्रिया को अस्थाई रूप से इस कार्यालय पत्रांक-752 दिनांक 31.05.2022 के द्वारा स्थगित किया गया था। होर्डिंग यूनिपोल/विज्ञापन शुल्क वसूली की निविदा की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की गयी है-

क्र सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	होर्डिंग/यूनिपोल विज्ञापन शुल्क वसूली जोन प्रथम	7.7.22 के 11:00 AM से 25.7.22 के 11:30 AM तक	25.7.22 के 12:00 PM	कक्ष सं0 12
2.	होर्डिंग/यूनिपोल विज्ञापन शुल्क वसूली जोन द्वितीय	7.7.22 के 11:00 AM से 25.7.22 के 11:30 AM तक	26.7.22 के 12:00 PM	कक्ष सं0 12

उक्त निविदाओं की शर्तें नगर निगम की वेबसाइट http//uktenders.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

O/C

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर

दूरभाष- 05944.242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 1161/1, 1161/2 /कर कक्ष/2022-23 P.B — दिनांक- 6-7-2022

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।

01. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
02. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी।
03. कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
04. सम्पादक अमर-उजाला ... को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 7.7.22 के अंक में प्रस्तावित छूट के साथ न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवम उक्त समाचार पत्र को दो प्रतियों में बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
05. श्री तपन कुमार राय, डाटा एण्ट्री आपरेटर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना शर्त एवं निविदा प्रपत्र को उत्तराखण्ड की वेबसाइट **http//uktenders.gov.in** व नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाइट **www.nagarnigamrudrapur.com** में अपलोड करने एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टेंडर खोलना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय, नगर निगम रूद्रपुर के सूचनापट्ट पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

जिन्दगी चुनों, तम्बाकू नहीं

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 के अनुपालन में– जोन द्वितीय (zone-2) डी0डी0 चौक से मटकोटा मोड़ तक (एन0एच–87), व मटकोट से हल्दी को जाती हुई रोड पर एव तीन पानी मोड से गाबा चौक तक व महाराजा अग्रसेन चौक से गुरूअंगद देव काम्पलेक्स तक एवं महाराजा अग्रसेन चौक से गाबा धर्मकाटां चौक तक व काशीपुर बाईपास रोड पर (गाबा चौक से डी0डी0 चौक तक) यूनिपोल/होर्डिंग लगाने हेतु ई–निविदा (2022–24) की शर्तें एवं प्रावधान–

1. विज्ञापन पट्ट होर्डिंग/यूनिपोल लगवाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम बोली की धनराशि **1,28,80,000.00/– (रू0 एक करोड़ अट्ठाईस लाख अस्सी हजार मात्र)** 02 वर्ष तक के लिये निर्धारित है।
3. उच्चतम निविदादाता की दरें (ठेका) स्वीकृत होने के 03 (तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को कार्यादेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के समय–समय पर हुए आदेशों के अन्तर्गत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
4. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर कोई भी यूनिपोल/होर्डिंग हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में यूनिपोल/होर्डिंग को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है एवं किन्ही 05 वर्षों में से (वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21) किन्ही 03 वर्षो का प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर **रू0 1,50,00,000.00 (रू0 एक करोड पचास लाख मात्र)** का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या सी0ए0 द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण (UDIN No. सहित)/Net Worth प्रमाण पत्र मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण/Net Worth पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द नही किया गया है, ई–निविदा के साथ–साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की **10 प्रतिशत, रू0 12,88,000.00 (रू0 बारह लाख अट्ठासी हजार)** धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे ई–निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
7. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेंगी।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जी0एस0टी0 सहित 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी
9. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।

10. यूनिपोल/होर्डिंग हाईटेन्शन लाईन से उचित दूरी पर लगाये जायेंगे, इससे सम्बन्धित सुरक्षा का दायित्व निविदादाता /फर्म का होगा। इस सन्दर्भ में विधुत विभाग के नियमों का पालन करना होगा।

11. यूनिपोल/होर्डिंग इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है, तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता/फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

12. यूनिपोल का अधिकतम साईज 6.0मी0X3.0मी0 से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2.5 मी0 से कम नहीं होगा या स्थल के अनुसार कम करना होगा। यूनिपोल चिन्हित किये गये स्थलों पर ही लगाये जायेंगें। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।

13. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। **"निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है"।**

14. यूनिपोल/होर्डिंग सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

15. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में घृणा फेलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ाने वाले ना हो एवंम शान्ति एंव कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाले विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगें।

16. **निविदादाता द्वारा निगम हेतु 04 यूनिपोल एवं 04 होर्डिंग आरक्षित रखे जायेंगे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर निगम को विज्ञापन लगायें जाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**

17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्राविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहा अपील की जा सकती है।

18. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार, जिला ऊधम सिंह नगर के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।

19. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

20. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी निगम/जिला प्रशासन/मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

21. प्रत्येक यूनिपोल/होर्डिंग में 01 यूनिक कोड संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा जो कि जोन0 02 के लिये 2Z001 से अन्तिम संख्या तक लिखा जायेगा। अन्य स्थानों पर एवं अन्य माध्यमों से विज्ञापन प्रचार-प्रसार हेतु नगर आयुक्त, द्वारा पृथक से अनुमति दी जायेगी, तथा शुल्क नगर निगम, द्वारा लिया जायेगा।

22. यूनिपोल/होर्डिंग लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मिकों का नियमानुसार पी0पी0 एफ0, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।

23. निविदादाता को अपने आवंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉलपेन्टिंग, बिजली के खम्भों पर लगे अवैध पोल क्योस्क व छतों पर लगे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरूद्ध स्वयं कार्यवाही करनी होगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरूद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा।

24. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

25. सभी यूनिपोल/होर्डिंग का फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार ही रखना होगा।

26. प्रत्येक विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित धातु (स्टील) के होगें, और 02 पोल से अधिक नहीं होगें।

27. अनुज्ञा केवल उस अवधि तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है। भूतल से विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 6 मी0 से अधिक नही होगी।

28. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा समय-समय पर ठेकेदार द्वारा यूनीपोल का अनुरक्षण (Maintenance)किया जायेगा

29. सभी विज्ञापन पट्ट अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली-भांति मरम्मत किये जाये, जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, तथा उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।

30. अनुबन्धकर्ता का यह कर्तव्य व उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा घेरे गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

31. विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

32. राज्य सरकार या नगर निगम, द्वारा पी0पी0पी0 मोड़ में प्रस्तावित ऐसी योजनाऐं जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हों, पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

33. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली 2009 में विहीत प्राविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।

34. यदि प्रस्तावित चिन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबंधकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

35. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

36. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में ई-निविदा की शर्तें अनुबन्ध का भाग होगी, तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में रू0 5,000/- दूसरी बार में रू0 10,000/- जुर्माना व तीसरी बार में ठेके निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त करते हुए अनुबंध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

37. **स्क्रैप की नीलामी**- नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्भों, गार्टर, यूनीपोल, जाल, एंगिल, ग्रिल, घेरा, ढाँचा आदि को चाहे वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड़ंजा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा स्क्रैप व कबाड़ को अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

<u>अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि-</u>

(क) निविदा दाता निर्धारित अनुज्ञा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रिति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदोन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो;

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो,

विज्ञापन शुल्क वसूली ई–निविदा की निर्धारित **Key Dates** निम्नानुसार है:–

S. No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	7.7.2022	11.00 AM
2	Documents download start date	7.7.2022	11.00 AM
3	Bid submission start date	7.7.2022	11.00 AM
4	**Pre Bid Conference Date**	15.7.2022	**12.30 PM**
5	Bid submission End date	25.7.2022	11.30 AM
6	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	25.7.2022	11.30 AM
7	Bid Opening Date	25.7.2022	12:00 PM

(कपूर सिंह)
कर एवं राजस्व मौहर्रिर
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(लता आर्या)
कर अधीक्षक
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(विशाल मिश्रा)
I.A.S
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(रामपाल सिंह)
मा0 महापौर
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

जोन नं0 02

क्र0 सं0	यूनिपोल हेतु चयनित स्थल		
A	(डी0डी0 चौक से मटकोटा मोड़ तक एन0एच0–87)	यूनीपोल संख्या	
01	पेट्रोल पम्प के सामने कार सेन्टर के बगल मे टेम्पो स्टैण्ड के पीछे	01	
02	आहूजा धर्मशाला के गेट पर	01	
03	अंगददेव के साथ में यूनाईटेड बैंक के बोर्ड के पीछे	01	
04	फुटेला हॉस्पिटल के बगल में कार बाजार के साथ कोने	01	
05	पी0ए0सी0 गेट के कोने पर	01	
06	पंजाब मैजेस्ट्री होटल के सामने	01	
07	पी0ए0सी0 गेट के दूसरे कोने पर	01	
08	पैट्रोल पम्प के गेट पर	01	
09	सरकारी हॉस्पिटल के सामने	01	
10	सी0एम0ओ0 ऑफिस को जाती हुई रोड के सामने जिलाजज के बोर्ड के बगल मे	01	
11	राज्य कर भवन को जाती हुई रोड के सामने	01	
12	डाबर के सामने पत्थर चट्टा पर आम के बगान के बगल में	02	
13	मटकोटा मोड के शुरु मे आम के बगान के कोने में	01	
14	अशोक लैलेण्ड गेट के सामने	01	
15	सेक्टर 12 के गेट में	01	
16	ऑटोमोबाईल एक्सल के गेट पर	01	
17	मटकोटा के दूसरे छोर पर दिनेशपुर आते हुये टी पांइट के कोने पर	01	
B	मटकोटा से हल्दी को जाती हुई रोड पर		
18	हल्द्वानी के मोड पर बनी चौकी के पीछे	02	
19	टाटा मोटर्स के गेट के सामने	01	
20	टाटा मोटर्स गेट के प्रवेश द्वार 03 के कोने पर	01	
21	आम के बगान के सामने हल्दी वाले मोड़ पर	01	
22	आदर्श पौधशाला के बगल में	01	
23	वाईपास निमार्णाधीन सड़क के शुरुआत मे हल्द्वानी से आते हुये अशोका लैलेण्ड बोर्ड के बाद	01	
24	मार्केटिंग ऑफिस मोड पर 01	01	
25	गीता इन्डस्ट्रीज के साथ	01	
26	पारले गेट पर दूसरे छोर पर	01	
27	लैसर फूड प्रोडक्ट के सामने	01	
28	सी0पी0यू के सामने सिडकुल गेट पर	01	

Vishal

29	बिगबाजार के सामने	02	
30	रेडिसन के सामने	01	
31	46 बटालियन पी०ए०सी० के सामने	01	
32	न्यायालय के सामने	01	
33	वरिष्ठ पुलिस कार्यालय बोर्ड के कोने पर	01	
34	पेट्रोल पम्प बी०पी० बोर्ड से पहले	01	
35	सी०एम०ओ० कार्यालय बोर्ड से आगे	01	
36	सरकारी हॉस्पिटल के गेट के बगल में	01	
37	टोयटा बी०एस०एल० भवन के बीच में	01	
38	कुमाँऊ ज्वैलर्स के सामने	01	
39	पाल फोर्ड के सामने आवास विकास मोड़ पर	01	
40	बी०के० हाई होटल के सामने	01	
41	मैक्स शोरूम के सामने	01	
42	निरंकारी आश्रम के बगल में	01	
43	शिशु मन्दिर विद्यालय के अंत में	01	
44	संगम मैरिज पैलेस से आगे	01	
45	सब्जी मण्डी के सामने	01	
46	मटके की दुकानो के बीच में	02	
47	मैट्रोपोलिस से बिग बाजार तक।	06	
48	मैट्रोपोलिस–ओमैक्स रोड डिवाइडर पर।	05	
49	सिडकुल गेट नं० 02 के सामने।	02	
50	मटकोटा फार्म से संलग्न भूमि पर।	05	
51	पुलिस लाइन से संलग्न पेट्रोल पम्प से कलेक्ट्रेट होते हुए मैट्रोपोलिस मॉल के सामने तक।	07	
52	सिडकुल गेट नं० 01 (पार्ले चौक के सामने रोड के पास)	02	
53	हल्द्वानी मोड़ से टाटा मोटर्स के गेट तक (हल्दी रोड)	03	
54	छत्तरपुर मोड से अशोक लिलैण्ड तक डिवाइडर पर (दिनेशपुर रोड)	03	
C	**(तीन पानी मोड़ से गाबा चौक तक)**		
55	डिलो फार्म के सामने	01साइड में	
56	बी०एच०ई०एल० के पास खाली	01साइड में	
57	भारतीय खाद्य निगम के सामने खाली है	01साइड में	
58	शिवनगर मोड़ पर	01दायें ओर 01बायें ओर	
59	जे०पी०एस० स्कूल के सामने (सुपर स्ट्रीट के सामने)	01साईड में	
60	पी०एन०बी० बैंक से ब्लैक बैरी डिवाईडर पर	01डिवाईडर पर	
D	**महाराजा अग्रसेन चौक से गुरूअंगद देव काम्लैक्स तक**		
61	अरोमा होटल के सामने डिवाईडर पर	01	
E	**महाराजा अग्रसेन चौक से गाबा धर्मकॉटा तक**		

62	सिविल लाईन मोड़ (नैनीताल रोड के कोने पर)	01	
F	**काशीपुर बाईपास रोड पर (गाबा चौक से डी0डी0 चौक तक)**		
63	वैष्णो द्वार के निकट डिवाइडर पर (नीलकमल फर्नीचर के सामने)।	01	
64	सुविधा होटल के सामने डिवाइडर पर (कार क्रेज के सामने)।	01	
65	झील के पास (कल्याणी नदी पुल के दाहिने छोर पर)।	01	
66	शिवनगर ट्रांजिट कैम्प मोड़ के पास।	01	
67	पुरानी तहसील के सामने (संत दया सिंह द्वार के निकट)	01	
G	**काशीपुर बाईपास रोड पर (गाबा चौक से डी0डी0 चौक तक)**		
68	गाबा चौक, धर्मकॉटे के पास	01	
69	रुद्रा होटल इण्डेन गैस एजेंसी के सामने डिवाइडर पर (एस0बी0आई0 के सामने)।	01	
70	रुद्रा होटल के सामने डिवाइडर पर।	01	
71	वैष्णो द्वार के निकट डिवाइडर पर (नीलकमल फर्नीचर के सामने)।	01	
72	सुविधा होटल के सामने डिवाइडर पर (कार क्रेज के सामने)।	01	
73	गुरूनानक इण्टर कॉलेज के पास बालाजी गेट के सामने डिवाइडर पर (आर्य कन्या इण्टर कॉलेज के सामने)।	01	
74	खुराना एजेन्सी के सामने डिवाइडर पर।	01	
75	होटल मिड टाउन के सामने डिवाइडर पर	01	
76	होटल अम्बर के सामने डिवाइडर पर।	01	
77	भारत ट्रेडिंग कारपोरेशन के सामने डिवाइडर पर।	01	
78	मटके वाली गली के सामने डिवाइडर पर (सोनू टेलीकॉम के सामने)।	01	
79	दुर्गा मन्दिर गली के सामने डिवाइडर पर (एच0पी0 इण्टर प्राइजेज के सामने)।	01	
80	अग्रसेन चौक ब्लैक बेरी शोरूम के सामने डिवाइडर पर (अल्मोड़ा अर्बन कॉपरेटिव बैंक के सामने)।	01	
81	पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सामने (डी0डी0 चौक के निकट सी0पी0यू0 चौकी के सामने)।	01	
82	किच्छा बाईपास रोड पर (डी0डी0 चौक से तीनपानी मोड़)	01	
83	झील के पास (कल्याणी नदी पुल के दाहिने छोर पर)।	01	
84	शिवनगर ट्रांजिट कैम्प मोड़ के पास।	01	
85	पुरानी तहसील के सामने (संत दया सिंह द्वार के निकट)	01	
86	वी मार्ट शोरूम के सामने डिवाइडर पर	01	
87	सन सिटी प्लाजा के सामने डिवाइडर पर।	01	
88	बंसल ज्वैलर्स के सामने अग्रसेन चौक से आगे डिवाइडर पर।	01	
89	अग्रसेन चौक से गांधी पार्क के सामने से होकर बाटा चौक रोड पर	01	
90	बाटा चौक के निकट अम्बेडकर पार्क के पास।	01	
91	रुद्रा फोटो स्टेट/श्री मारुति कोरियर के सामने ट्रांसफार्मर के निकट।	01	

कुल यूनीपोलो की सं0--121

होर्डिंग हेतु चयनित स्थल 2022 से 2024 तक

जोन– 02

क्र. सं.	होर्डिंग स्थल	यूनीपोल संख्या	राशि
A-01	छत्तरपुर मोड़ टी–पाइन्ट के पास	02	
B	**किच्छा–काशीपुर बाईपास रोड़ पर**		
02	फायर स्टेशन से गैस गोदाम तक	05	
03	पुरानी तहसील के बाहर	02	
04	शिवनगर मोड	03	
05	पुरानी तहसील से तीन पानी मोड़ तक	08	
C	**नैनीताल रोड पर (NH-87)**		
06	अंगद देव कौम्पलैक्स सिविल लाइन	04	
07	अटरिया रोड पर नाले से लगी भूमि पर	05	
08	पी०ए०सी० गेट न० 01 से नगर निगम, रूद्रपुर स्वागत द्वार तक	10	
09	कंचन तारा होटल रोड़ मोड़ शिशु मन्दिर के पास	01	
10	नैनीताल रोड पर मेट्रोपोलिस मोड के पास	04	
11	मेट्रोपोलिस कालोनी गेट न० 03 के सामने	04	
12	ओमेक्स कालोनी गेट के सामने	04	
13	नैनीताल रोड पर मेट्रोपोलिस से बिग बाजार तक	05	
14	नैनीताल रोड पर बिग बाजार के सामने पूर्व दिशा में	10	
15	सिडकुल चौकी सहायता केन्द्र से महादेव मन्दिर	02	
16	सिडकुल गेट न० 01 के पास	02	
17	सिडकुल गेट न० 02 के पास	02	
	कुल होर्डिंग की संख्या–73		